भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1522
31.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

बैटरी प्रबंधन प्रणालियों की साइबर सुरक्षा संपरीक्षा

1522 **श्री पी. विल्सन:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को बैटरी प्रबंधन प्रणालियों की साइबर सुरक्षा संपरीक्षा को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार वाहन दुर्घटना परीक्षणों की भांति, क्रैश इम्पैक्ट, थर्मल रनअवे, वाटर इमर्सन और फास्ट-चार्जिंग परीक्षणों सहित अनिवार्य बैटरी सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन मानक शुरू करने का विचार रखती है;
(ग) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरियों पर वर्तमान में प्रयोज्य सुरक्षा मानकों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या बैटरी सुरक्षा परीक्षण अवसंरचना और अनुसंधान हेतु कोई केंद्रीय निधि आवंटित की गई है; और
(ङ) क्या प्रस्तावित सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय ने बैटरी प्रबंधन प्रणाली के साइबर सुरक्षा ऑडिट को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दिनांक 6 जुलाई, 2026 को प्रमुख उद्योग संगठनों, जिनमें एसआईएएम तथा एसीएमए के साथ-साथ विभिन्न परीक्षण एजेंसियाँ शामिल हैं, को एक औपचारिक परामर्श जारी किया है।

(ख), (ग) तथा (ङ): संशोधित विनियामक ढाँचे के अनुसार, प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता अथवा आयातक के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत अधिसूचित परीक्षण एजेंसी के समक्ष वाहन का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत करना तथा टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रमाण-पत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुपालन को प्रमाणित करता है। वर्तमान में एल-श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं एआईएस-156 के

अंतर्गत विनिर्दिष्ट हैं, जबकि एम तथा एन श्रेणी के वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन तथा रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (आरईईएसएस) की सुरक्षा के संबंध में एआईएस-038 संशोधन (2) का अनुपालन अपेक्षित है। प्रस्तावित साइबर सुरक्षा तथा सॉफ्टवेयर अद्यतन संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एआईएस-189 तथा एआईएस-190 मानकों के अनुरूप एल, एम तथा एन श्रेणी के वाहनों के संबंध में दिनांक 17 जून, 2026 को जी.एस.आर. 503(ई) के माध्यम से प्रारूप नियम प्रकाशित किए हैं।

(घ): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से प्राप्त सूचनानुसार, बैटरी प्रौद्योगिकी तथा बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) से संबंधित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) गतिविधियों को डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सब-सिस्टम्स (ईवीएसएस) कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थन प्रदान किया गया है। एमईआईटीवाई ने यह भी सूचित किया है कि रिचार्जेबल बैटरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सीएमईटी), पुणे में एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र कार्यरत है।
